भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 132
दिनांक 20 जुलाई 2026

भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों को आकस्मिक क्षति से बचाने के उपाय

132 **डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सुदूर क्षेत्रों में अनधिकृत खुदाई के कारण भूमिगत गैस और तेल पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने से हाल ही में हुई आग लगने की घटनाओं से अवगत है;

(ख) क्या सरकार सभी गैस और तेल पाइपलाइन संचालकों के लिए ऑटोकैड/जीआईएस प्रारूपों सहित अद्यतन डिजिटल पाइपलाइन एलाइनमेंट मानचित्र स्थानीय अधिकारियों को सौंपना और उन्हें एक केंद्रीकृत भूमिगत उपयोगिता मानचित्रण प्रणाली के साथ एकीकृत करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव करती है; और

(ग) क्या सरकार आठ फीट से अधिक गहरी खुदाई के लिए भूमिगत उपयोगिता मानचित्रों का सत्यापन करने के उपरांत पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाने तथा पाइपलाइनों को आकस्मिक क्षति से बचाने और महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी)/वन-कॉल" स्वीकृति तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने सूचित किया है कि दिनांक 30.06.2026 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड (आईपीपीएल) और हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की पेट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइन में आग लगने की घटना हुई। इसके अलावा, दिनांक 01.06.2026 को नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी के बहु-उत्पाद पाइपलाइन में आग लगने की घटना हुई, जो शरारती तत्वों द्वारा पाइपलाइन में छेद करके चोरी करने की कोशिश के कारण हुई थी। साथ ही, वर्ष 2025-26 के दौरान पीएनजीआरबी को अनधिकृत खुदाई के कारण आग लगने की तेरह (13) सिजीडी पाइपलाइन घटनाओं की सूचना मिली।

(ख) ओआईएसडी मानक (ओआईएसडी -एसटीडी-141) के तहत, पाइपलाइन के स्वामी के लिए आवश्यक है कि वह क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन के पूरे जीवनकाल के दौरान उसके जीआईएस मैपिंग अभिलेख के भौतिक और डिजिटल, दोनों रूपों का रख-रखाव करें। पाइपलाइन बिछाने के

लिए 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (एनओसी) के लिए आवेदन करते समय ऐसे मैप की एक प्रतिलिपि ज़िला प्रशासन को भी सौंपी जाती है। इसके अलावा, पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत, सभी चालू क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों के डिजिटल मैप पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और ज़िला प्रशासन तक इसकी पहुच है।

(ग) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (पी एंड एमपी) अधिनियम, 1962 पाइपलाइन के 'उपयोगकर्ता का अधिकार' (आरओयू) वाले क्षेत्र में अनधिकृत गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने पर जेल सहित दंड का प्रावधान करता है। दूरसंचार विभाग ने सीबीयूडी (कॉल बिफोर यू डिग) नामक एक सॉफ्टवेयर कार्यक्रम विकसित किया है, जिसे तेल और गैस कंपनियां खुदाई करने वाली एजेंसियों और तेल और गैस कंपनियों के जीए (भौगोलिक क्षेत्र) के बीच तालमेल बेहतर बनाने के लिए कार्यान्वित कर रही हैं जिससे सीजीडी (नगर गैस वितरण) अवसंरचना को होने वाले नुकसान और ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके। पाइपलाइन के स्थान की पहचान करने, पाइपलाइन की गहराई निर्धारित करने और क्रॉसिंग कार्य के लिए मंज़ूरी लेने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद हैं।

*****